



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 श्रावण 1944 (श10)

(सं0 पटना 596) पटना, सोमवार, 8 अगस्त 2022

सं० 27/आरोप-01-34/2021-सा0प्र0-10078

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

21 जून 2022

श्री राजीव रंजन प्रकाश, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1130/11, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सिवान के विरुद्ध नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-850 दिनांक-08.02.2016 एवं पत्रांक-4609 दिनांक-19.08.2016 द्वारा क्रमशः आरोप पत्र एवं पूरक आरोप पत्र प्राप्त हुआ। श्री प्रकाश के विरुद्ध नगर परिषद्, सिवान की सशक्त समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के प्रतिकूल योजनाओं का कार्यान्वयन करने, सरकार द्वारा निर्धारित उम्र सीमा के बाद भी प्रधान सहायक-सह-लेखापाल को सेवानिवृत्त नहीं कर उनसे कार्य लेने, सोलर लाईट की अनियमित तरीके से खरीददारी करने, डस्टबीन एवं गारबेज रिक्शा की खरीददारी में अनियमितता बरतने, मजहूरल बस स्टैंड, सिवान की बंदोबस्ती नगर पर्वद द्वारा रद्द किये जाने के बावजूद उसके ठेके को रद्द नहीं करने, बी0आर0जी0एफ0 योजना की अवशेष राशि से बिना किसी मापदंड के योजनाओं का चयन कर लेने आदि आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15423 दिनांक 16.11.2016 द्वारा श्री प्रकाश को निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा का कार्यालय निर्धारित किया गया।

2. प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर इस विभाग के स्तर से आरोप पत्र गठित करते हुए उस पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15526 दिनांक 18.11.2016 द्वारा श्री प्रकाश के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। आरोपित पदाधिकारी श्री प्रकाश की अस्वस्थता को ध्यान में रखते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16338 दिनांक 07.12.2016 द्वारा उन्हें निलंबन मुक्त किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 7105 दिनांक 15.07.2021 द्वारा श्री प्रकाश से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री प्रकाश का लिखित अभिकथन (दिनांक 24.10.2021) प्राप्त हुआ।

4. श्री प्रकाश के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्री प्रकाश के लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री प्रकाश के लिखित अभिकथन को असंतोषप्रद पाते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम 14 के अंतर्गत (1) निन्दन (आरोप वर्ष-2011-12) 2. दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव अवरुद्ध करने की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

4. अतएव श्री राजीव रंजन प्रकाश, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1130/11, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सिवान के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम 14 के अंतर्गत (1) निन्दन (आरोप वर्ष-2011-12) 2. दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव **अवरुद्ध करने** की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रविन्द्रनाथ चौधरी,
सरकार के विशेष कार्य पदाधिकारी।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 596-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>**